



उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: २०७८ अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-II (चिकित्सा)

दिनांक: 16/05/2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों/पारिवारिक पेंशनर एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे हैं तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर को कारपोरेशन नियमानुसार चिकित्सा/उपचार कराये जाने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्न चिकित्सालयों को कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	चिकित्सालय	अनुमोदित दर सूची
1.	आर०जी०स्टोन, यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कॉपी हॉस्पिटल, 8, कॉन्वैन्ट रोड, देहरादून	सी०जी०एच०एस०, देहरादून की दर सूची
2.	कोटद्वार आई हॉस्पिटल एंड हैल्थकेयर, बद्दीनाथ मार्ग, कोटद्वार	सीजीएचएस, देहरादून की दर सूची रूम रेंट हेतु चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी दर सूची पर 10 प्रतिशत की छूट

उपरोक्तांकित चिकित्सालयों की मान्यता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं० 2088-एनजी/11/एसईबी०(चतुर्थ)-29-एनजी-11/78 दि०-24-05-78, कारपोरेशन आदेश सं०-5731/निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०-का०-ई/एम-1 दि०-22-08-06 एवं समय-समय पर जारी एतद्विषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।
- 2- उक्त चिकित्सालयों की मान्यता आदेश निर्गमन की तिथि से दि०-31.03.2027 तक की अवधि के लिए मान्य होंगी।
- 3- उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शाएगा :-
" उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनपर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों/पारिवारिक पेंशनर एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे हैं तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर के लिए अधिकृत चिकित्सालय"
- 4- चिकित्सालय द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी।
 - (1) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग।
 - (2) यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं है, तो उसके पिता/पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
 - (3) चिकित्सालय में भर्ती एवं डिस्चार्ज की तिथि
 - (4) कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान।

- (5) रोग का विवरण ।
- (6) कुल प्राप्त की गयी राशि ।
- (7) निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर ।

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी ।


- 5- प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित-प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा-बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया यथावत रहेगी ।
- 6- उपाकालि में लागू नियमों/प्राविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है ।
- 7- कारपोरेशन चाहे तो कारपोरेशन हित में चिकित्सालय को बिना कारण बताये पूर्व सूचित करते हुये कारपोरेशन पैनल से हटा सकता है ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 2078 अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-II (चिकित्सा) तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित : -

1. स्टॉफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०कॉ०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
2. निजी सचिव, निदेशक(वित्त/परिचालन/परियोजना)उपाकालि, वि०कॉ०वि०, ग०सिं० ऊर्जा भवन, देहरादून ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि..... ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि..... ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, ।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि..... ।
7. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उपाकालि, वि०कॉ०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन देहरादून को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
8. मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
9. आर०जी०स्टोन,यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल, 8 कॉन्वेन्ट रोड, देहरादून ।
10. कोटद्वार आई हॉस्पिटल एंड हैल्थकेयर, बद्रीनाथ मार्ग, कोटद्वार ।
11. मेडिकल कट फाइल ।



(डॉ० आर० जी० मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा०सं०)